



JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(A Government of Rajasthan Undertaking)

प्रमाणित सचि सूर्ययो

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005

Tel/Fax: +91-141-2740264 / Email: caoia@jvvn.org / Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvn

No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/F.29 / D. 4490

Jaipur, dated: - 13.11.2019

ORDER

Sub: - Amendment/Insertion in JVVN Services (Absorption of Ex-Servicemen) Regulations, 2017.

The Managing Director in consultation with Director (Finance) has decided to circulate the clarification no. प.5(18)कार्मिक/क-2/84 part dated 21.05.2019 issued by the Department of Personnel (क-2) GoR. Accordingly, following is hereby inserted below existing Regulation 7A in JVVN Services (Absorption of Ex-Servicemen) Regulations, 2017: -

उक्त प्रावधान के अनुसार सैनिक जो आगामी एक वर्ष के भीतर - भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु, उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण, लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व निगम में प्रस्तुत करना होगा।

विनियम 7-A के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो, की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जायेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होंगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर, उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता है। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी रिक्ति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।

By Order,

(Dr. R.P.Gupta)
Chief Accounts Officer (IA)

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Controller of Accounts, JPD, Jaipur
2. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), JPD, _____
3. The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur.
6. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
7. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
8. The Sr. Accounts Officer () / Dy. Director of Personnel (), JPD, _____
9. The Superintending Engineer (), JPD, _____
10. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
11. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, _____

12. P.A to the Accountant General (E&R Sector Audit), O/o Principal AG Rajasthan, Jaipur.
13. P.A to the Chairman & Managing Director, JVVNL, Jaipur.
14. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.



(Yeshwant Jonwal)
Asst. Accounts Officer (Rules)

Note: - Orders issued under JPD/Rules are also available on the website of Jaipur Discom.